


35 (161)

प्रकाश क्रमांक 129-का113

माननीय राजस्व मंडल में 0 प्रो ग्वालियर



C.R.  
R-201

अधिनारा प्रसाद तनय श्री लक्ष्मण प्रसाद साठो त्रिभुनी हाल मु० पंछा तहो लोथर  
जिला रीवा म० प्र०  
--निगरानीकर्ता

अना म.

R-129-11-113

- 1- छोटेला कुशावाहा तनय मुस्तार साठो पंछा तहो लोथर जिला रीवा म० प्र०
  - 2- राभावातार तनय श्री रंजु कुशावाहा साठो पंछा तहो लोथर, जिला-रीवा म० प्र०
- अ निगरानीकर्ता

सिधवक्ता श्री मोतीलाल  
मेरठा द्वारा, उस्तुत  
रीवा, दिनांक 7-12-12

13-12-12  
13-12-12  
30

37-13

माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहो  
तहसील लोथर वृत्त- वाक के प्र० क्र०-  
57/12/11-12 सीमांकन आदेश दिनांक  
12/9/12 के विरुद्ध निगरानी

म० प्र० भू- राजस्व संहिता की धारा  
50 के अधीन निगरानी

साहचर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1- पहिले नाम पंछा तहो लोथर वृत्त वाक के भूमि बाहरा 30-78/1  
रकत 0,045 एवं भूमि बाहरा क्रमांक - 70/5 रकत 0'041 के सीमांकन  
हेतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहो लोथर वृत्त वाक  
के न्यायालय में म० प्र० भू राजस्व संहिता की धारा - 129 के अधीन  
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निगरानी  
कर्ता सरकारी कास्तकार को सूचना दिये वगैरे निगरानीकर्ता के कब्जे दखल की  
भूमि आहरा नं० - 77/7 एवं 83/7 जो कौशिल्या देवी से दान पत्र में प्राप्त


M. S. J. S. S. S. S.  
7/12/12

**राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ**

प्रकरण क्रमांक... R.129-प्र.113 ..... जिला रीवा .....

..... अधिवक्ता प्रताप विरुद्ध श्रीदेवलाल अशवाही

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>मोतीलाल मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>ब्योरा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>57/प्र.12.111.12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>12-9-12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>18-03-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>

*Handwritten notes:*  
15-1-19

*Handwritten signature:*  
Meeta Lal Mishra  
7/2/19

~~अवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रताप द्वारा जिला निगरानी  
को सरकारी कारतजार को सूचना दिये बिना निगरानीकर्ता के कब्जे दखल की  
सूचना क्रमांक 0 - 77/7 एवं 03/7 जो श्रीदेवलाल अशवाही से दान पत्र में प्राप्त~~